शपथ-पत्र

अतिथि विद्वान सत्र 2024-2025 के निम्नलिखित नियम एवं शर्त –

1. विश्वविद्यालय के सम्बन्धित विभाग के प्रत्येक कार्यदिवस में कार्यालयीन समय/निर्देशानुसार उपस्थित रहना होगा।
2. विश्वविद्यालय में आयोजित शैक्षणिक तथा शिक्षणेतर कार्यों/गतिविधियों में सक्रिय सहयोग करना होगा।
3. आवश्यकतानुसार अध्यापन एवं तत्सहगामी गतिविधि के लिए आपको विश्वविद्यालय के कैंपस **श्री रामानुज संस्कृत परिसर, रीवा** भेजा जा सकता है।
4. आमन्त्रण पत्र प्राप्त होने की तिथि से 15 दिवस के अन्दर पुलिस या न्यायालय में आपराधिक प्रकरण न होने तथा अन्य शासकीय / अशासकीय संस्था से वेतन / मानदेय न प्राप्त होने के सम्बन्ध में वैध शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
5. पूर्व संस्था में कार्यरत रहते हुये किसी भी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाही आपके विरुद्ध नहीं हुई है, इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. मूल दस्तावेजों के साथ 15 दिवसों के अन्दर सत्यापन करायें एवं कार्यारम्भ करें। 15 दिवसों के पश्चात् कार्यारम्भ न करने पर आमन्त्रण स्वत: निरस्त माना जाएगा।
7. म.प्र. शासन के कैलेण्डर द्वारा घोषित एवं समय-समय पर संशोधित अवकाशों की पात्रता होगी ।
8. प्रत्येक माह की सम्पूर्ति पर 01 दिवस आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी।
9. यदि किसी माह में आकस्मिक अवकाश प्राप्त ना किया गया हो तो आगामी माह में समायोजित किया जाएगा।
10. आमन्त्रित अतिथि विद्वान (पूर्णकालिक) को मासिक रूपये 40,500/- देय होगा। कार्य दिवस में अनुपस्थित रहने पर सम्बन्धित दिवस का मानदेय प्रदेय नहीं होगा।
11. व्याख्यान प्रदान करने हेतु आमन्त्रण की व्यवस्था पूर्णत: अस्थाई है। इन्हें किसी स्थिति में विश्वविद्यालय स्थापना के अंतर्गत नहीं माना जायेगा और लोक-सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत भी लोक-सेवक नहीं माना जायेगा।
12. व्याख्यान अवधि (सत्र) में सर्वत्र अनुशासन बनाये रखना होगा तथा माननीय कुलगुरु एवं विभागाध्यक्ष द्वारा समय-समय पर दिए गये निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
13. कक्षाओं के संचालन के साथ-साथ विभागाध्यक्ष के निर्देशानुसार विभिन्न प्रशासकीय कार्य सम्पादित करने होंगे।
14. विश्वविद्यालय में अध्यापन आदि कार्य करते हुए अन्य संस्थाओं में अध्यापन कार्य स्वीकार्य नहीं होगा।
15. विभाग में स्थायी व्यवस्था होने/ रिक्त पद भरने/आवश्यकता समाप्त होने की स्थिति में आपका आमन्त्रण स्वत: निरस्त माना जाएगा।
16. आपके द्वारा कदाचार किया जाना पाए जाने पर एकपक्षीय कार्यवाही करने के लिये विश्वविद्यालय स्वतंत्र है।
17. शैक्षणिक सत्र 2024-2025 की समाप्ति पर यह आमन्त्रण स्वत: समाप्त हो जायेगा।
18. आपके अध्यापन एवं इतर कार्यालयीन कार्य में असंतोष पाए जाने पर/शिकायत की स्थिति में तथ्य सही पाए जाने पर यह आमन्त्रण सत्र के मध्य में कभी भी निरस्त/समाप्त किया जा सकता है।

मेरे द्वारा उपर्युक्त समस्त नियमों/शर्तों/निबन्धनों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन कर समझ लिया गया है। मैं एतद् द्वारा उपर्युक्त समस्त नियमों/शर्तों/निबन्धनों को स्वीकार करते हुए कार्य करने हेतु अपनी सहमति प्रदान करता/करती हूँ।

हस्ताक्षर शपथकर्त्ता

दिनांक :

स्थान :

नाम - .....

पिता का नाम - .....

विषय तथा विभाग - .....

मोबाइल नम्बर - .....

आधारकार्ड नम्बर -.....